प्रारूप–9
नियम 8(2) देखिये

संख्या – 1520 दिनांक 13/8/25

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीनीकरण संख्या– 307/2025–26 पत्रावली संख्या जी–55754

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि अशोक चतुर्वेदी समाज सेवी संस्थान, ग्राम व पो0–नैपुर, तहसील–बरहज, जनपद–देवरिया, उ0 प्र0, को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या–1585/2014–2015 दिनांक 12/03/2015 को दिनांक 12/03/2025 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

3250.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

जारी करने का दिनांक–13.08.2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश
13/8/25

नोट–यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध, व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61AC 574099

[illegible] अशोक चतुर्वेदी [illegible]
[illegible]
[illegible] फाइल नं० पी-55754
[illegible] के साथ संलग्न है

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61AC 574100

साथ संलग्न है

स्मृति-पत्र

1.	संस्था का नाम	::	अशोक चतुर्वेदी समाज सेवी संस्थान।
2.	संस्था का पूरा पता	::	ग्राम व पोस्ट-नैपुर, तहसील-बरहज, जिला-देवरिया।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	::	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

1. भारतीय संस्कृति परम्परा के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित प्राथमिक एवम् लघु माध्यमिक विद्यालय खोलना तथा समयानुसार इण्टरमीडिएट एवम् महाविद्यालय कि स्थापना करना जिससे भारतीयता स्वावलम्बन, स्वदेश प्रेम, समाज सेवा की भावना उत्पन्न करना।
2. बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान कर सचरित्र नागरिक बनना।
3. छात्रावास, पुस्तकालय आदि पूरक एवं अन्य राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का प्रचार व प्रसार करना।
4. संस्कृत के शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।
5. बालक/बालिकाओं में अनुशासनात्मक ढ़ंग से शिक्षा ग्रहण करने की भावना उत्पन्न करना।
6. निर्धन एवं असहाय छात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
7. विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास के लिए छात्रावास एवं खेलकूद की व्यवस्था करना।
8. महिलाओं के विकास हेतु सिलाई, कढ़ाई आदि केन्द्रों की स्थापना करना।
9. देशाटन द्वारा बच्चों का बौद्धिक विकास करना।
10. संगीत शिक्षा का आयोजन करना।
11. नेत्रहीन बालक एवं बालिकाओं के शिक्षा की व्यवस्था करना।
12. ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का आर्थिक सुधार करना।
13. बीस सूत्रीय कार्यक्रम को चलाने में सहयोग प्रदान करना।
14. नवयुवक/नवयुवतियों को सभी प्रकार प्रशिक्षण देना।
15. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से सहायता प्रदान कर निर्धन असहाय लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना।
16. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर गोष्ठी (कैम्प) इत्यादि लगवा करके जनमानस का कल्याण करना।

साधना राम रतन गोंड़ निधि दिवाकर कुशवाहा नरेन्द्र Britee Munesha

...............2

SHRI KRISHAN TIWARI

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

17. फल संरक्षण एवं सामाजिक वानिकी इत्यादि कार्यों को सफल बनाना व सहयोग करना।
18. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं समाज के निर्धन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
19. प्राकृतिक आपदा में जनमानस का सहयोग प्रदान करना।
20. विधवा, विकलांग, वृद्धा इत्यादि का सहयोग प्रदान करना।
21. पल्स पोलियो, एड्स एवं संक्रामक बिमारियों के रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना।
22. ग्राम सुधार योजना के अन्तर्गत विकास कार्य का सम्पादन करना।
23. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना, आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध के क्षेत्र में जानकारी देना।
24. औषधि कार्यों के लिए जड़ी-बुटियों, जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना, व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविक खेती एवं ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, मैन्थामिन्ट (पिपरमिन्ट) की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करना व जड़ी बूटी द्वारा आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण प्रचार-प्रसार करना।
25. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गांवों में व्यापक स्तर पर नि:शुल्क संचालित करना, टीकाकरण जैसे पल्स पोलियों, हैपेटाइटिस, फाईलेरिया, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स, कैंसर, टी०वी० कुछ क्षेत्रीय बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा नि:शुल्क दवाओं का वितरण करना व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नि:शुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की नि:शुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार नि:शुल्क करना, व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन-साधारण को जानकारी मुहैया कराना व नि:शुल्क होम्यौपैथ एवं यूनानी चिकित्सालय स्थापित करना। दृष्टिहीन, मूकबधिर विद्यालयों की स्थापना करना, व नि:शुल्क नेत्र चिकित्सालयों, नेत्र दान, रक्त दान व कैम्प लगवाना व भ्रूण हत्या की

साधना निधि दिवाकर कुशवाहा नरेन्द्र SHRI KRISHAN

..........3

चिकित्सालयों, नेत्र दान, रक्त दान व कैम्प लगवाना व भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिये प्रयास करना, व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना तथा संक्रामक बिमारियों जैसे रोगों के बारे में अवगत कराना।

26. कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यों व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करना।
27. समाज के लिए व्याप्त छूआछूत, ऊँच-नीच तथा जाति धर्म की विषमता की निर्मूल समाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।
28. शराब व मादक पदार्थों का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार नशा उन्मूलन व पुर्नवास केन्द्र स्थापित करना।
29. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुये प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।
30. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
31. सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी करवाना।
32. जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र व जल संशाधन तथा स्वजलधारा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
33. नदियों में गन्दे नाले तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए सम्बन्धित विभागों की अनुमति से करना। छोटे पोखरे एवं तालाबों के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना।
34. दैवी आपदा, बाढ़ भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बिमारियों, महामारी व विभिन्न कठिनाईयों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।
35. संस्था से जुड़े सदस्यों के माता-पिता, पत्नी व बच्चों के ईलाज में मदद करना।
36. जानवरों के चारागाह हेतु सरकार की अनुमति से नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना ताकि जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके।

साधना

SHRI KRISHNA TIWARI

37. मानव संशाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय तथा उ0 प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना।
38. सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, म्यूजिक, नाट्य के कार्यक्रमों की निःशुल्क जानकारी देना एवं ऐसे कार्यक्रमों को प्रायोजित करना।
39. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का प्रबन्ध करना।
40. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गांवों एवं शहरों में अभिरूचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहित व पुरष्कृत करना।
41. सीमा क्षेत्र के इलाकों के विकास के लिए कार्य करना, वैल्पिक ऊर्जा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करना।
42. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।
43. बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई0यल0ओ0 यूनीडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कन्धे से कन्धा मिलाकर योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना।
44. फूलों एवं फलो की खेती तथा बागवानी बोर्ड से संबंधित जानकारी जन-मानस तक पहुँचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
45. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं विज्ञान भवनों की स्थापना करना।
46. विकलांगो के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय, आश्रम-पद्धति विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
47. आम जनता के उपयोग के लिए धमार्थ कम्यूनिटी हाल, बारातघर, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, अनाथालय, प्याऊ, वाचानालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ-डिस्पेन्सरी

SHRI KRISHAN TIWARI

व निःशुल्क स्टूडियो, रात्रि निवास, शार्ट-स्टे-होम, मूक-बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

48. बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी देना, अविवाहित माता, विधवा, पारिवारिक हिंसा/दहेज प्रथा दहेज पीड़ित से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों को करवाना।

49. प्राकृतिक संशाधनों पर आधारित सामग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुये पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति विकसित करना।

50. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी कराना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार की स्वरोजगार परक योजनाओं में सहायता, सहयोग करके शिक्षि बेरोजगार नवयुवकों व नवयुवतियों को रोजगार की जानकारी प्रदान करना।

51. वन-सम्पदा के दोहन को रोकने को प्रोत्साहित करना व पर्यावरण के गुणों के बारे में जानकारी देना।

52. समाज के सभी वर्गों व लिंग को अध्यात्मिक, सामाजिक व शिष्टाचार का ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना व इसका प्रचार व प्रसार करना।

53. गौशाला खोलवाकर, पशुपक्षियों की सेवा करना तथा अवैधानिक तरीके से पशुपक्षियों का शिकार करने वालों पर रोक लगवाना तथा जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य करना।

54. प्राकृतिक पर्यावरण का सन्तुलन बनाने के लिए प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों का उत्पादन करना व बागवानी करना।

55. देश विदेश से आये विद्यार्थियों बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मशालाओं की व्यवस्था कराना व उसकी निःशुल्क व्यवस्था एवं संचालन करना।

56. उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को करना।

57. अल्पसंख्यक बालक एवं बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ज्ञान करवाना।

58. देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकना तथा बेरोजगारी भिक्षावृत्ति को रोकना तथा उनको हर प्रकार की मदद प्रदान करना।

59. जीव-जन्तु को संरक्षण प्रदान करना व उनके रहने की व्यवस्था का प्रयास करना।

साधना

सिद्धि

दिवाकर कुशवाहा

SHRI KRISHAN TIWARI

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

गोरखपुर

5– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम/पिता का नाम पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के द्वारा नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री अशोक चतुर्वेदी पुत्र स्व0 राजेन्द्र चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट–नैपुर (देवरिया)	अध्यक्ष	समाजसेवा
2–	श्रीमती प्रीति तिवारी पत्नी श्री कृष्ण तिवारी	ग्राम–जगदीशपुर व पोस्ट–डेरवा जिला–गोरखपुर	उपाध्यक्ष	जनसेवा
3–	श्रीमती प्रभा चतुर्वेदी पत्नी श्री अशोक चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट–नैपुर, जिला–देवरिया	प्रबन्धक /मंत्री	सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी
4–	श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री अशोक चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट–नैपुर, जिला–देवरिया	उपप्रबन्धक /उपमंत्री	व्यवसाय
5–	श्री मुनीन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री अशोक चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट–नैपुर, जिला–देवरिया	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6–	श्री श्रीकृष्ण तिवारी पुत्र श्री रघुवंश तिवारी	ग्राम–जगदीशपुर, पोस्ट–डेरवां जिला–गोरखपुर	आडिटर	व्यवसाय
7–	श्री श्रीकृष्ण चन्द्र शुक्ल पुत्र स्व0 उदयभान शुक्ल	ग्राम व पोस्ट–करायल शुक्ल जिला–देवरिया	सदस्य	कृषि कार्य
8–	श्री रामरतन गोंड़ पुत्र स्व0 बांकेलाल गोंड़	ग्राम व पोस्ट–नैपुर जिला–देवरिया	सदस्य	कृषि कार्य
9–	श्रीमती साधना चतुर्वेदी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट–नैपुर जिला–देवरिया	सदस्य	गृहिणी
10–	श्री दीवाकर कुशवाहा पुत्र स्व0 गोवर्धन कुशवाहा	ग्राम व पोस्ट–नैपुर जिला–देवरिया	सदस्य	नौकरी
11–	श्रीमती निधि चतुर्वेदी पत्नी श्री मुनीन्द्र कुमार चतुर्वेदी	ग्राम व पोस्ट–नैपुर जिला–देवरिया	सदस्य	गृहिणी

6– हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का रजि0 एक्ट 21 सन् 1860 के अनुसार सोसायटीज रजि0 करवाना चाहते हैं।

साधना रामरतन गोंड़

नरेन्द्र

Munindra

दिवाकर कुशवाहा

SHRI KRISHAN TIWARI

सत्य – प्रतिलिपि

12/5/15

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता 12-5-15

नियमावली

1. संस्था का नाम :: अशोक चतुर्वेदी समाज सेवी संस्थान।
2. संस्था का पूरा पता :: ग्राम व पोस्ट–नैपुर, तहसील–बरहज, जिला–देवरिया।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग** –

आजीवन सदस्य –

जो व्यक्ति संस्था को एक बार 10001/- रू0 नि:स्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

विशिष्ट सदस्य –

समिति के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर संस्था को 5001/- रू0 वार्षिक रूप से सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

सामान्य सदस्य –

जो व्यक्ति संस्था के हित के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे संस्था को 1001/- रू0 वार्षिक चंदा देते रहेंगे संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेंगे।

5. **सदस्यता की समाप्ति**–

1- मृत्यु होने पर।
2- पागल अथवा दिवालिया होने पर।
3- संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4- त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर।
5- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
6- किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6. **संस्था के अंग**– अ– साधारण सभा।
   ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

7. **साधारण सभा**–

गठन– सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेंगे।

बैठक– साधारण सभा की सामान्य बैठक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगी, विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकतानुसार पड़ने पर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर दस दिन पूर्व दी जायेगी विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दे दी जायेगी।

साधना श्रीवास्तव
निधि
दिवाकर कुशवाहा नरेन्द्र Britee प्रभा चतुर्वेदी Menincha
SHRI KRISHAN TIWARI

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

गणपूर्ति- साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जो माह जून में होगा।

साधारण सभा के कर्तव्य-

1- प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना।

2- संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

3- संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

4- संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।

5- संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।

8. **प्रबन्धकारिणी समिति-**

गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 6 पदाधिकारी तथा 5 सदस्य होंगे और कुल की संख्या 11 की होगी।

बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम तीन बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए की जायेगी।

गणपूर्ति-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आंधार पर शेषकाल के लिए की जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए की जायेगी।

बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम तीन बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य-

1- संस्था के कार्यो का सुचारू रूप से संचालन करना।

2- संस्था के उन्नति के लिए चंदा, दान, ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था करना।

3- कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

4- संस्था के लेखा-जोखा की व्यवस्था करना।

5- आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करना।

6- नियम में परिवर्तन करना।

7- संस्था के आजीवन सदस्य ही प्रबन्ध समिति का चुनाव करा सकते हैं।

साधना श्रीवास्तव
निधि
दिवाकर कुशवाहा नरेन्द्र
SHRI KRISHAN TIWARI

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य–**

अध्यक्ष–

1– सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

2– बैठकों को बुलाना, अनुमोदन करना तथा सुविधानुसार परिवर्तन करना।

3– बैठक में शांति व्यवस्था कायम करना।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

प्रबन्धक/मंत्री–

1– संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

2– समस्त बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

3– प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

4– राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना तथा ऋण आदि प्राप्त करना।

5– पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

6– संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।

7– बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।

8– संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।

9– संस्था के सभी अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।

10– संस्था के सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

11– कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि करना।

12– संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक कार्य किये जाने पर उन्हें दण्डित करना या निष्कासित करना।

13– दान व चन्दा प्राप्त कर रसीद देना।

उपप्रबन्धक/उपमंत्री–

प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति में केवल संचलन करना।

कोषाध्यक्ष–

1– आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।

2– प्रबन्धक/मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

3– प्रबन्धक/मंत्री के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

4– सदस्यों से चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार कोषाध्यक्ष को होगा कोषाध्यक्ष द्वारा जारी रसीद ही मान्य होगी।

SHRI KRISHAN TIWARI

आडिटर- संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना एवं उसकी रिपोर्ट साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

10. **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

11. **संस्था का कोष-**

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से खोला जायेगा जिसमें खाते के संचालन के लिए प्रबन्धक/मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

12. **संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)-**

संस्था के वर्ष भर के आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

13. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व-**

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके मुकदमें वाद-प्रतिवाद की पैरवी प्रबन्धक/मंत्री द्वारा की जायेगी।

14. **संस्था के अभिलेख-**

1- सदस्यता रजिस्टर

2- कार्यवाही रजिस्टर

3- स्टाक रजिस्टर

4- कैश बुक आदि

15. संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक.............................. सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

साधना - रामरतन गौड़

दिवाकर कुशवाहा

SHRI KRISHAN TIWARI

SHRI KRISHAN TIWARI

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

गोरखपुर

पत्रावली संख्या 55754
आलेख का क्रम ......
स्मृति पत्र ...... Amended Memorandum
निबन्धकर्ता ......
आज दिनांक 12-3-15
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860
के अन्तर्गत निबन्धन किया गया।

12/3/15

सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

कार्यालय सहायक निबन्धक ... सत्यमेव जयते ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर